प्रत्येक यात्री मैदानी मार्ग पर 20 कि0ग्रा0 तक घरेलू सामान निःशुल्क ले जा सकेंगें तथा पर्वतीय मार्ग पर 25 कि0ग्रा0 तक घरेलू सामान निःशुल्क ले जा सकेंगें। घरेलू सामान से तात्पर्य अटैची, छोटी सन्दूक, बैग, बिस्तर, आदि से होगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्न सामानों पर किराया निम्नवत् देय होगाः–

क्र. स.	सामान का नाम	भार का आंकलन	किराया दर भार के अनुसार प्रतिशत में।
1.	कार्यालय कुर्सी एवं डाईनिंग कुर्सी फोल्डिंग बैड टेबिल फेन/पेडेस्टल फेन सिलाई मशीन फोल्डिंग कुर्सी प्लास्टिक कुर्सी सेण्ट्रल टेबल फोल्डिंग टेबल	50 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0 50 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। साधारण एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया।
2.	साईकिल बड़ी बच्चों की ट्राली एवं बच्चों की साईकिल (मध्यम एवं छोटी)	50 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।
3.	कार्यालय मेज (मध्यम एवं छोटी) डायनिंग टेबल एवं कार्यालय मेज (बड़ी) सोफासेट (थ्री–पीस) सौफा कुर्सी अलमारी (बड़ी)	50 कि0ग्रा0 100 कि0ग्रा0 200 कि0ग्रा0 50	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। एक यात्री का किराया। दो यात्री का किराया। एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। दो यात्री का किराया।

	अलमारी (मध्यम एवं छोटी) डबल बैड़ (बॉक्स सहित एवं बिना बॉक्स) सिंगल बैड़ बॉक्स	कि0ग्रा0 200 कि0ग्रा0 100 कि0ग्रा0 200 कि0ग्रा0 100 कि0ग्रा0	एक यात्री का किराया। दो यात्री का किराया। एक यात्री का किराया।
4.	डैस्कटॉप कम्प्यूटर (सीपीयू एवं मोनिटर) मोनिटर (14इंच और ऊपर)	50 कि0ग्रा0 50 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।
5.	फलों / सब्जी की टोकरी सेब की दो पेटी	50 कि0ग्रा0 50 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।
6.	टेलीविजन फुल साईज टेलीविजन पोर्टेबल वाशिंग मशीन	50 कि0ग्रा0 25 कि0ग्रा0 50 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया। एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।
7.	फूलो की पेटी(ल03 1/2☐ ऊ0 1 1/2 ☐ चौ02 फीट)	50 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।
8.	समाचार पत्र / पत्रिका के बण्डल	50 कि0ग्रा0	एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।

9– बोरो / थैलों मे बन्द सामान की भार–

25 कि0ग्रा0 तक सामान — एक यात्री का 25 प्रतिशत किराया।

50 कि0ग्रा0 तक सामान — एक यात्री का 50 प्रतिशत किराया।

100 कि0ग्रा0 तक सामान — एक यात्री का किराया।

सामान्यतः अतिरिक्त सामान के साथ यात्री का रहना अनिवार्य होगा, किन्तु क्रम संख्या 7 एवं 8 में यह अनिवार्य नही होगा।

10— एक बस में अधिकतम 05 कुन्तल सामान लादा जा सकेगा।

11— निगम बसों में निम्न सामान का परिवहन किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा—

क—ज्वलन शील पदार्थ, जैसे—गैस सिलेण्डर, मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, शराब की बोतले आदि।

ख—बदबूदार पदार्थ जैसे— चमड़ा, मीट, अण्डा आदि के टोकरे।

ग—बस की छत, फर्श, एवं सीटें खराब करने वाले पदार्थ, जैसे – सीमेन्ट, सरिया, पेन्ट, तेजाब की बैटरी आदि।

12— यदि किसी सामान के परिवहन में स्थानीय टैक्स देय होता है तो उस टैक्स को सामान का स्वामी वहन करेगा।

13— यात्रा के समय किसी सामान के खराब या नष्ट होने के लिए परिवहन निगम उत्तरदायी नही होगा।

14— उक्त के अतिरिक्त ऐसा कोई सामान बसों में परिवहन नही किया जाएगा, जिसके मारण बस की बॉड़ी, छत या सींटें क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो।

15— ऐसा कोई सामान परिवहन नही किया जाएगा जिससे कि विधि द्वारा मान्य किसी भी कानून का उल्लंघन होता हो।

16— केवल छोटा सामान बस में बने हैट रेक्स अथवा सींटों के नीचे रखा जा सकता है। गैप मे कोई सामान न रखा जाए ताकि यात्रियों तथा चालक को असुविधा हो।

17— सामान यथा सम्भव बस के छत पर बने लगेज कैरियर मे ही रखा जाएगा जिसके कारण किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। सामान बस स्टेशन पर ही लादा एवं उतारा जाएगा।